

निर्णय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 88/2013

वादपत्र धारा 53, 88 व 188 आर.टी.एक्ट.

बदामी पुत्री ताराचंद पत्नि कवरलाल नाई नि. पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी

—वादीया

बनाम

- 1- रमेश पिता भैरूलाल अवयस्क जरिये माता पुष्पा बेवा भैरूलाल नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मुकेश पिता भैरूलाल अवयस्क जरिये माता पुष्पा बेवा भैरूलाल नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 3- पुष्पा बेवा, भैरूलाल नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 4- देवीलाल पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 5- मांगी बाई पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 6- गीता पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 7- दाखी पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 8- शान्ति पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 9- भागवन्ती पिता ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 10- फुली बाई बेवा ताराचंद नाई निवासी पिण्ड तह. बड़ीसादड़ी
- 11- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फंद बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा पिण्ड की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है —

1- बदामी पुत्री ताराचंद पत्नि कवरलाल नाई नि. पिण्ड

आ.न.	रकबा	लगान
919/1	0.08	2.08
1	0.08	2.08


2- रमेश मुकेश पिता भैरूलाल ना.बा. स.प.माता पुष्पा बाई पुष्पा बाई पत्नि भैरूलाल 1/8 देवीलाल मांगी बा गीता बाई दाखी बाई शान्ति बाई भागवन्ती पिता ताराचंद फुली बाई पत्नि ताराचंद नाई 7/8 सा. देह

आ.न.	रकबा	लगान
919 मी.	0.49	12.74
921	0.09	1.71
2	0.58	14.45

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

गोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी